उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या- 28/2016/892/30-3-16-06बी/2014-2
लखनऊ, दिनॉक 31 मार्च, 2016

संशोधन/शुद्धि-पत्र

उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में आयोजनागत पक्ष में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-21/2016/821/30-3-16-6बी/2014-2, दिनॉक 22-03-2016 एवं शासनादेश संख्या-22/2016/824/30-3-16-6बी/2014-2, दिनॉक 22-03-2016 के प्रस्तर-1 के उप प्रस्तर-(4) में उल्लिखित है कि "निर्माण कार्य के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था का चयन/निर्धारण सक्षम स्तर से कराये जाने के उपरान्त निर्माण कराया जाये", जिसके सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि पूर्व की भांति कार्यदायी संस्था-लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश नामित हैं, जैसा कि परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव दिनॉक 28-03-2016 से स्पष्ट है।

2- अत: उक्त दोनों शासनादेशों के प्रस्तर-1 के उप प्रस्तर-(4) में उल्लिखित "निर्माण कार्य के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था का चयन/निर्धारण सक्षम स्तर से कराये जाने के उपरान्त निर्माण कराया जाये", के स्थान पर "पूर्व की भांति कार्यदायी संस्था-लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश नामित हैं", पढ़ा जाय। इस प्रकार उक्त शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

मुहम्मद अख़लाक़ ख़ॉ,
विशेष सचिव।

संख्या- 28/2016/892(1)/30-3-2016, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- कार्यदायी संस्था-लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुहम्मद अख़लाक़ ख़ॉ)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।